संख्या- 35/ **2387** ई-2/तेरह-2014-**31/2010**

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
इलहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 02 दिसम्बर, 2014

विषय: जनपद मुजफ्फरनगर की वर्ष 1977-78 की देशी शराब दुकान बघरा की नीलामी श्री मुंशीराम पुत्र श्री तेज सिंह निवासी आर्यपुरी, मुजफफरनगर एवं श्री राजेश कुमार पुत्र श्री त्रिलोक निवासी बघरा मुजफ्फरनगर की बकाया/अवसूलनीय धनराशि रू0 51,666.75 के राजस्व परित्यजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक क़पया अपने पत्र संख्या- जी-151/सात-राजस्व परित्यजन/ मुजफ्फरनगर/1977-78/ रू0 51,666.75 दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- वर्ष 1977-78 की देशी शराब दुकान बघरा रू0 1,68,000/- में श्री मुंशीराम पुत्र श्री तेज सिंह, मुजफ्फरनगर व श्री राजेश कुमार पुत्र श्री त्रिलोक, बघरा को आवंटित हुई। देशी शराब दुकान बघरा दिनांक 03 जनवरी, 1978 तक चली। मुंशीराम द्वारा किश्तों में रू0 76,869/- जमा किया और किश्त न जमा करने पर दुकान कुछ दिन दैनिक पारिश्रमिक आधार पर चली। दुकान से रू0 14,439/- जमा हुए। बघरा दुकान पुन: रू0 14,500/- में नीलाम हुई। इस प्रकार कुल रू0 1,05,808/-, तथा बाद में रू0 624/- और जमा हुए। इस प्रकार कुल रू0 1,06,432/- जमा हुए और रू0 61,568/- का बकाया पड़ा। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर से दिनांक 12-10-1982 को उक्त बकाया धनराशि रू0 61,568/- के राजस्व परित्यजन का प्रस्ताव प्रपत्र जी-31 प्रेषित किया गया। तत्पश्चात उक्त् बकाया धनराशि की वसूली हेतु पुन: प्रयास करने पर ज्ञात हुआ कि बकायेदार श्री राजेश की मृत्यु हो चुकी है, और दूसरे बाकीदार मुंशीराम की आर्यपुरी में स्थित सम्पत्ति को नीलाम कर रू0 9,901.25 प्राप्त किये गये और उसका समायोजन करने के पश्चात रू0 51,666.75 का बकाया शेष रह गया। जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा एक बाकीदार की मृत्यु एवं दूसरे की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण उक्त् अवशेष धनराशि की वसूली की समस्त सम्भावनायें समाप्त होने पर उक्त् अवसूलनीय बकाया धनराशि रू0 51,666.75 के राजस्व परित्यजन का प्रस्ताव पुन: दिनांक 16 जून, 1994 को जी-31 प्रेषित किया गया था ।

http://shasnadesh.up.nic.in

3- आबकारी आयुक्त द्वारा पत्र दिनांक 30-04-2010, 09-11-2010, 19-12-2011 एवं 31-03-2012 के माध्यम से उपरोक्त स्थिति के आधार पर जनपद मुजफ्फरनगर की वर्ष 1977-78 की देशी शराब दुकान बघरा के बकायेदार श्री मुंशीराम पुत्र श्री तेज सिंह, मुजफ्फरनगर व श्री राजेश कुमार पुत्र श्री त्रिलोक निवासी बघरा मुजफ्फरनगर की अवसूलनीय बकाया धनराशि रू0 51,666.75 के राजस्व परित्यजन की संस्तुति की है।

4- अत: उपरोक्त् वर्णित स्थिति में जनपद मुजफ्फरनगर की वर्ष 1977-78 की देशी शराब दुकान बघरा के बकायेदार श्री मुंशीराम पुत्र श्री तेज सिंह, मुजफ्फरनगर व श्री राजेश कुमार पुत्र श्री त्रिलोक निवासी बघरा मुजफ्फरनगर की बकाया/ अवसूलनीय बकाया धनराशि रू0 51,666.75 के राजस्व परित्यजन की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव।

संख्या- 35(1)/ **2387** ई-2/तेरह-2014-**31/2010 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित**:-**

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- वित्त (लेखा) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
4- जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय
अनुसचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in